>

Title : Need to implement 'One rank-One Pension' scheme in the Armed Forces of the country.

डॉ0 राजन सुशान्त (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सभी भारतवासी जानते हैं कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति तभी संभव है जब राष्ट्र राष्ट्रविरोधी शक्तियों से पूर्णतया सुरक्षित हो। चाहे 1947-48, 1962, 1965 व 1971 के युद्ध हों या 1999 का कारगिल युद्ध या फिर चाहे जम्मू काश्मीर हो या पूर्वोत्तर राज्य, बाढ़ जैसी आपात स्थिति हो या 26.11.2008 का मुम्बई हादसा इसे सुरक्षा कवच प्रदान करने में भारतीय सेना की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश की सेना विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में एक है। भारतीय सेना के मनोबल को मजबूत रखने हेतु सेना को पूर्ण मान-सम्मान सहित उचित वेतन, पेंशन व भत्ते देना अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान में कार्यरत सैनिकों के लिए आज के पूर्व सैनिकों की अवहेलना उनकी कल की अवहेलना होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिन्ताजनक है। पूर्व सैनिकों में एक-रैंक एक-पेंशन की नीति लागू न होने से अन्याय, असंतोष व असहाय होने की मिश्रित भावना का एक शक्तिशाली आक्रोश है; परिणामस्वरूप वे न्याय हेतु दिसम्बर 2008 से सत्याग्रह कर रहे हैं तथा अपनी वीरता के मैडल भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लौटा रहे हैं जो चिन्ताजनक है एवं खेदजनक भी। क्योंकि जुलाई, 1987 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों को वही पेंशन दी जाएगी जो भविष्य में किसी भी समय उनके उत्तराधिकारियों को मिलेगी। अतः सर्वोच्च न्यायालय की भावना को भारतीय सेना हेतु भी मापदण्ड बनाकर व संसदीय समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर भी राष्ट्र के लगभग 23 लाख पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर राष्ट्र के सुरक्षा कवच को मजबूत बनाया जाये।